तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/6644/2002/भरतपुर नवल बनाम मोहर सिंह	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री ओ.पी. भट्ट, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी

श्री माधवराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता, रैस्पोडेन्टस्

निर्णय

दिनांक 20.12.2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या–33/97 बउनवानी नवल बनाम मोहर सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05–09–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि विवादित भूमि का आवंटन अपीलाट के पिता बुद्धि को दिनांक 27–09–1970 को हुआ था और जिसका नामांकतरण संख्या–17 दिनांक 17–03–1975 को बुद्धि के नाम खुल गया था और इसकी अपील मोहर सिंह द्वारा की गई जो अपील स्वीकार होकर मामला रिमांड किया गया, लेकिन अपीलार्थी को सुने बिना ही दिनांक 14–07–1987 को उक्त जमीन को मोहर सिंह को नियमन कर दिया। मोहर सिंह के नियमन के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 05–09–2002 को खारिज कर दी जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गई है। संवत् 2034 में जांच कमेटी बनी थी उसमें भी बुद्धि का ही नाम था व बुद्धि का ही कब्जा था। जो स्पेशल आवंटन किया गया है और 1984 में ही इनका कब्जा था इसलिए उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे और पूर्व का आवंटन अपीलार्थी को बहाल किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का तर्क है कि अपीलार्थी के पिता बुद्धि को जो आवंटन किया गया था उसे रेस्पोंडेंट द्वारा धारा 14(4) के तहत चुनौती दी गई थी और जो प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ और बाद जांच आवंटन कमेटी द्वारा रेस्पोंडेंट मोहर सिंह को उक्त जमीन आवंटन हुई है उस आवंटन के विरुद्ध भी इसकी अपील खारिज हो चुकी है और मोहर सिंह का आवंटन दिनांक 14–07–1987 को बहाल रखा गया है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/6644/2002/भरतपुर नवल बनाम मोहर सिंह	नम्बर व तारीख
	इसलिए अपीलार्थी का कोई मामला नहीं बनता है इसलिए अपील खारिज की जावे। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 931 रकबा 2 बीघा का आवंटन दिनांक 27-09-1970 को बुद्धि जाति जाटव निवासी ग्राम भदीरा तहसील नदबई को किया गया था। उक्त आवंटन को पतराम पुत्र रामलाल द्वारा जिला कलेक्टर, भरतपुर के यहां चुनौती दी गई और जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30-03-1978 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 27-09-1970 को अपास्त कर दिया और उपखंड अधिकारी, भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया कि नए सिरे से जांच करके नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आवंटन की कार्यवाही करें। इस के पश्चात् मोहर सिंह के आवेदन पर उक्त विवादित भूमि मोहर सिंह को आवंटन दिनांक 14-07-1987 को की गई इस आदेश के विरुद्ध बुद्धा के पिता नवल द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के यहां प्रस्तुत की जो दिनांक 09-02-2002 को खारिज की गई और जिला कलेक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 30-03-1978 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील करने पर उक्त अपील दिनांक 14-12-1982 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज की गई। तत्पश्चात् तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मोहर सिंह को उक्त विवादित आरजी खसरा नंबर 1587 एक बीघा 5 बिस्वा का आवंटन दिनांक 14-07-1987 को किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है लेकिन जिला कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 30-03-1978 के समय अपीलार्थी का कब्जा नहीं माना और तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मोहर सिंह का कब्जा मानकर उसको आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति की अनुसंशा के आधार पर आवंटन किया गया है, जब एक बार अपीलार्थी के पिता को कागजी आवंटन मानकर खारिज कर दिया है तो अब उस भूमि पर अपीलार्थी के पिता द्वारा जो आधार उठाए गए हैं व उनका निस्तारण किया जा चुका है तो अब अपीलार्थी का कोई मामला नहीं बनता है और ना ही मोहर सिंह को किए गए आवंटन को निरस्त करने का कोई अधिकार रखता है और मोहर सिंह को किए गए आवंटन से अपीलार्थी के किसी अधिकारों का हनन होता हो ऐसी स्थिति भी प्रकट नहीं हुई है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट की यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/6644/2002/भरतपुर नवल बनाम मोहर सिंह	नम्बर व तारीख
	परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या– 6644/2002 बउनवानी नवल बनाम मोहर सिंह खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या–33/97 बउनवानी नवल बनाम मोहर सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05–09–2002 की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	